>

Title: The Minister of State in the Ministry of Communications and Information Technology laid a statement correcting the reply given on 09.03.2011 to Unstarred Question No. 2154 by Shri S.R. Jeyadurai, MP and other regarding "Utilisation of Specturm" and giving easons for delay in correcting the reply.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI MILIND DEORA): I beg to lay the statement in reply to the Lok Sabha Unstarred Question No. 2154 on 9th March, 2011 regarding " Utilisation of spectrum", a mistake had crept in inadvertently.

Replies given in respect of part (a) to (b) of the answer may be amended to read as under:

(a) to (b) In case of fresh Unified Access Service Licensees (UASL), the allotted spectrum could be underutilized till such time a sufficient subscriber base is reached and / or roll out obligation gets completed. In respect of other Government and private users, the spectrum may be under utilized in some geographical locations.

DELAY IN STATEMENT

The correcting reply could not be submitted within stipulated time because, it needs detailed examination based on number of facts/ records and collection of data. Details of the question is as mentioned below:

S.No.	Question Number	Date of answer	Name of the Member of Parliament who asked the Question
1.	LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 2154.	09.03.2011	SHRI S.R.JEYADURAI AND OTHERS

MADAM SPEAKER: Shrimati Sushma Swaraj ji, would you like to initiate the discussion?

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष महोदया, मैंने प्रारंभ में कहा कि हमने बीएसी में भ्रष्टाचार पर स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन मांगी है और उस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने यह जो वक्तव्य दिया है, इस पर हम सभी नेता आज प्रतिक्रिया देना चाहेंगे।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: We are doing it under Rule 193, as I have announced.

...(*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज : इससे पहले कि मैं अपनी बात प्रारंभ करूं, मैं यह कहना चाहूंगी...(व्यवधान)

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): We want to make our point....(*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: No. I had announced it in the beginning.

...(*Interruptions*)

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद): अध्यक्ष महोदया, सुषमा जी के बाद मुलायम सिंह जी की बात सुन ली जाए।...(व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): We can have a structured debate later on....(*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: That is what I had said. On the Statement, usually, immediately after that there is no discussion but as a special case, today I have said we will have it under Rule 193.

...(*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैडम, आज मैं नियम 193 के अंतर्गत चर्चा पर इसलिए भी नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि आपको मालूम है कि यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर आए हुए हैं और मैं इंडो-यूके पार्लियामैंट्री फ्रैंडशिप ग्रुप की चेयरपर्सन हूं। इसलिए मैंने उनके लिए एक लंचियन मीटिंग रखी है। मुझे जाना होगा।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Then, shall we take-up 'Zero Hour'? We shall take 'Zero Hour' in that case.

...(*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज : आपको यह मालूम है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : फिर हम ज़ीरो आवर ले लेते हैं।

â€¦(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : इसलिए मैं आपसे कह रही हूं कि अभी आप हमें प्रारंभिक प्रतिक्रिया देने दीजिए। सभी लोगों को बोलने दीजिए और नियम 193 के अंतर्गत चर्चा हम बाद में ले लेंगे।...(व्यवधान) इससे पहले कि मैं अपनी बात इस वक्तव्य पर रखूं, मैं एक टिप्पणी करना चाहती हूं।...(व्यवधान)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Yesterday, I had only said and made a request to you that let a debate and discussion begin. What else is being done now? You have given a ruling that we begin the discussion under Rule 193. ...(*Interruptions*) That will give a chance to them as also to our members and everybody to speak on that....(*Interruptions*) Madam, you have given that ruling. They have asked for a discussion under Rule 193. The hon. Leader of the Opposition can speak for one hour. I am sure she does not take more than 40 minutes. She can speak for one hour also. Let other Members also speak thereafter....(*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज : 12.45 पर मेरी मीटिंग उनके साथ शुरू है। आप एक घंटे की बात कर रहे हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, पहले मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगी कि संसदीय कार्य मंत्री ...(व्यवधान) संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी सदन को चलाने की होती है। ...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): अध्यक्ष महोदया, आपने नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा शुरू करने की रूलिंग दी है। ...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदया, आप पहले उन्हें बैठाइये। ...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): अध्यक्ष महोदया, यह हर बार खड़े हो जाते हैं और बीच में डिस्टर्ब करते हैं। ...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्षा जी, अपनी बात शुरू करने से पहले ...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम : अध्यक्ष महोदया, इस विषय पर लंच के बाद नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा शुरू होनी चाहिए। ...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्षा जी, इस वक्तव्य पर अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक टिप्पणी करना चाहती हूं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप नियम 193 के अन्तर्गत बोलिये।

â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : सुषमा जी, आप नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा में अभी बोलना चाहती हैं, तो अभी बोल दीजिए, नहीं तो बाद में बोलिये। अभी हम दूसरा बिजनेस ले लेते हैं।

â€¦(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्षा जी, सबसे पहले मैं इस पर एक टिप्पणी करना चाहती हूं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप टिप्पणी मत कीजिए।

â€¦(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : इस वक्तव्य से पहले मैं एक टिप्पणी करना चाहती हूं कि संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी सदन को सुचारू रूप से चलाने की होती है। वे शांत रहकर, कम बोलकर और सबसे समन्वय करके सदन चलाते हैं। लेकिन इस सदन का यह अनुभव है कि सबसे ज्यादा व्यवधान संसदीय कार्य मंत्री के आचरण के कारण पैदा होता है। ...(व्यवधान) कल भी यही हुआ और आज भी यही हुआ। ...(व्यवधान) कल उन्होंने आपकी रूलिंग को चैलेंज किया। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Now, we shall take up the discussion on the Prime Minister's Statement. If you are not prepared now, we can take it up later, and we can proceed with 'Zero Hour'.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : Madam, I am prepared. ...(*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please start the discussion now. सुषमा जी यह चर्चा शुरू कर रही हैं।

â€¦(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम : क्या आप नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा कर रही हैं? ...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : जी हां, मैं नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा शुरू कर रही हूं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप सब शांत हो जाइये।

â€¦(व्यवधान)

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदया, मैं व्यवस्था का सवाल खड़ा करना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप कौन से नियम के अन्तर्गत व्यवस्था का सवाल खड़ा करना चाहते हैं?

â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : सबसे पहले आप नियम बताइये।

â€¦(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please tell me the Rule.

...(*Interruptions*)

श्री शरद यादव : मैं नियम 193 के ऊपर ही बोल रहा हूं। ...(व्यवधान) मेरा निवेदन है कि आपने पूरे सदन की भावना को देखकर सुषमा जी और बाकी लोगों को बोलने की इजाजत दी। मैं आपके माध्यम से ...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम : अध्यक्ष महोदया ने नियम 193 पर चर्चा शुरू करने की इजाजत दी है। ...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : जी हां, नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा शुरू करने की इजाजत दी है और हम इसे मान गये हैं। ...(व्यवधान) उनका फैसला सिर माथे है। मैं आपके माध्यम से सब पक्षों से कहना चाहता हूं कि आज देश बहुत ही विकट स्थिति में है। ...(व्यवधान) प्रधान मंत्री जी बोल रहे थे। आप और हम सब मिलकर यदि इस डिबेट को ठीक से चलायेंगे, तो आपकी बात भी ठीक आयेगी और विपक्ष के लोगों की बात भी ठीक आयेगी। इसमें आपको क्या एतराज है? ...(व्यवधान) मैं यही कहना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक): जब प्रधान मंत्री जी बोल रहे थे, तब आप उन्हें क्यों नहीं बोलने दे रहे थे।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है। किसी को कोई एतराज नहीं है। सुषमा जी अब आप बोलिये।